न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 99/2016   एवं 7/2016 जिला सीकर

1.   रिछपाल सिंह (मृतक जर्ये)
1/1 किरण कंवर पत्नी रिछपाल सिंह
1/2 शक्ति सिंह पुत्र रिछपाल सिंह
1/3 लक्ष्मण सिंह पुत्र रिछपाल सिंह
1/4 ईजरज कंवर पुत्री रिछपाल सिंह समस्त जाति राजपूत, निवासी ढोलास, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. मंगेज सिंह पुत्र चन्द्र सिंह, जाति राजपूत निवासी ढोलास, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर
2. रेशम कंवर पुत्री चन्द्र सिंह पत्नी अमर सिंह , जाति राजपूत, निवासी राजयासर, मीठा ,वाया पडियारा, जिला चूरू ।
3. जसू सिंह पुत्र चन्द्र सिंह
4. दानसिंह पुत्र चन्द्र सिंह
5. गुमान सिंह पुत्र चन्द्र सिंह
6. विजय सिंह पुत्र मेघसिंह
7. रसाल कंवर पत्नी मेघ सिंह, समस्त जाति राजपूत, निवासी मंगलूना, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ।
8. अमर सिंह (मृतक जर्ये)

8/1 अनोप कंवर पत्नी अमर सिंह
8/2 राजेन्द्र सिंह पुत्र अमर सिंह
8/3 कुलदीप सिंह पुत्र अमर सिंह , जाति राजपूत, निवासी मु. पो. मंगलूना, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ।
8/4 सुशीला कंवर उर्फ सुरेश पुत्री अमर सिंह पत्नी गजेन्द्र सिंह
8/5 पिंकी कंवर उर्फ उषा पुत्री अमर सिंह पत्नी ईश्वर सिंह, जाति राजपूत, निवासी कातर, तहसील बींदासर, जिला चुरू ।

9. जगदीश सिंह पुत्र रूप सिंह
10. सुरज्ञान कंवर पुत्री रूप सिंह पत्नी राजेन्द्र सिंह राजपूत, निवासी हुसैनपुरा, तहसील लाडन, पो. मिठडी, जिला नागौर ।
11. मोहन कंवर पुत्री रूपसिंह पत्नी मदन सिंह राजपूत, मु.पो. थावरिया, तहसील नोखा, जिला बीकानेर ।
12. लक्ष्मी कंवर पुत्री रूपसिंह पत्नी भंवर सिंह राजपूत, मु.पों. मैनसर, तहसील नौखा, जिला बीकानेर ।
13. सदा कंवर पत्नी रूप सिंह जाति राजपूत, निवासी मंगलूना, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ।
14. सरपंच ग्रम पंचायत नरोदडा
15. ग्रम सेवक ग्रम पंचायत नरोदडा
16. राजस्थान ग्रमीण बैंक शाखा लक्ष्मणगढ
17. कनिष्ठ अभियन्ता (ओ.एण्ड एम.) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड लक्ष्मणगढ ।
18. सहायक अभियन्ता (ओ.एण्ड एम.) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड लक्ष्मणगढ ।
19. प्रबन्ध निदेशक अजमेर विद्युत वितरण निगम अजमेर ।
20. तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर दिनांक 10.7.2015 बाबत ग्रम ढोलास स्थित आराजी के नामांतरकरण संख्या 160 ग्रम पंचायत ने रिडमल सिंह पुत्र भक्तावर सिंह की विरासत का रिछपाल सिंह के नाम दिनांक 30.5.1981 को तस्दीक किया है ।

उपस्थित–
1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम बाबू पारीक
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री जयसिंह

अपील संख्या 7/2016 जिला सीकर

1. रिछपाल सिंह (मृतक जर्ये)
1/1 शक्ति सिंह पुत्र रिछपाल सिंह
1/2 लक्ष्मण सिंह पुत्र रिछपाल सिंह
1/3 इजरज कंवर पुत्री रिछपाल सिंह समस्त जाति राजपूत, निवासी ढोलास, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

सरकार जर्ये तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला सीकर दिनांक 29.12.2015 बाबत रणमल सिंह पुत्र मुकन्द सिंह की ग्रम मंगलूना तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 252 रकबा 3.87 है. एवं खसरा नम्बर 551 रकबा 0.09 है. का नामांतरकरण अपीलार्थी रिछपाल सिंह के नाम खोलने ।

उपस्थित–
1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम बाबू पारीक
2. राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक– 13.6.2018

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

यह दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा कमशः 76 एवं 75 के खिलाफ उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 10.7.2015 बाबत ग्रम ढोलास, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 12/2/2 रकबा 0.90 है., खसरा नम्बर 22 रकबा 0 .65 है., खसरा नम्बर 139/208 रकबा 1.23 है., खसरा नम्बर 141 रकबा 1.67 है. कुल किता 4 कुल रकबा 4.45 हैक्टेयर के खातेदार रिडमल सिंह पुत्र भक्तावर सिंह की विरासत का नामांतरकरण संख्या 160 रिछपाल सिंह के नाम दिनांक 30.5.1981 को ग्रम पंचायत नरोदडा द्वारा तस्दीक किये जाने पर उसके खिलाफ मंगेज सिंह व रेशम कंवर पुत्र पुत्री रिडमल सिंह द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत की, जो स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 160 दिनांक 30.5.81 निरस्त कर प्रकरण स्व. रिडमलसिंह के विधिक वारिसान की जॉच कर उभयपक्षों की सुनवाई कर नियमानुसार निर्णय करने हेतु तहसीलदार लक्ष्मणगढ को प्रतिप्रेषित किया है । उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के निर्णय दिनांक 10.7.2015 के खिलाफ यह द्वितीय अपील प्रस्तुत हुई है , जो अपील संख्या 99/2016 पर दर्ज की गई है ।

दूसरी अपील ग्रम मंगलूना, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 252 रकबा 3.87 है., खसरा नम्बर 551 रकबा 0.09 है. के खातेदार रणमल सिंह की विरासत का नामांतरकरण अपीलान्ट रिछपाल सिंह के नाम खोलने संबंधी अपीलान्ट रिछपाल सिंह के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा आदेश दिनांक 29.12.2015 मृतक खातेदार रणमल सिंह पुत्र मुकन्द सिंह का विधिक वारिस तय किया जाना उनके श्रवणाधिकार/ क्षेत्राधिकार में नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया है , जिसके खिलाफ अपीलान्ट रिछपाल सिंह द्वारा यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है, जो अपील संख्या 7/2016 पर दर्ज की गई है ।

दोनों अपीलों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दोनों अपीलों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है । निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में रखी जावे । दोनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम ढोलास, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 12/2/2 रकबा 0.90 है., खसरा नम्बर 22 रकबा 0.65 है., खसरा नम्बर 139/208 रकबा 1.23 है., खसरा नम्बर 141 रकबा 1.67 है. कुल किता 4 कुल रकबा 4.45 हैक्टेयर के खातेदार रिडमल सिंह पुत्र भक्तावर सिंह था जिसके फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 160 पटवारी हल्का द्वारा रिछपाल सिंह व मंगेज सिंह पि.मु. रिडमल सिंह के नाम भरा गया जिसे दिनांक 30.5.1981 को ग्रम पंचायत द्वारा रिछपाल सिंह के नाम तस्दीक किया गया । नामांतरकरण संख्या 160 दिनांक 30.5.81 के खिलाफ मंगेज सिंह व रेशम कंवर पुत्र – पुत्री रिडमल सिंह द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के समक्ष प्रस्तुत की, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.7.2015 द्वारा वर्तमान जमाबन्दी 2058–61 में उक्त आराजी रिछपाल सिंह पि.मु. रिडमल सिंह जाति राजपूत सा.देह के नाम दर्ज होना, नकल नामांतरकरण संख्या 160 गॉव ढोलास के अनुसार रिडमल सिंह पुत्र भक्तावर सिंह राजपूत की विरासत रिछपाल सिंह, मंगेज सिंह पि.मु. रिडमल सिंह, जाति राजपूत सा. देह के नाम भरने पर ग्रम पंचायत नरोदडा द्वारा रिछपाल सिंह के ही गोद जाने के आधार पर रिछपालसिंह पि.मु. रिडमल सिंह के नाम स्वीकार किये जाने, अपीलांट्स (मंगेज सिंह व रेशम कंवर) द्वारा अपने आपको रिडमल सिंह के वारिस बताये जाने , रजिस्टर्ड गोदनामा किसी का नहीं होना भी नामांतरकरण में अंकित होने, पंचायत द्वारा दो व्यक्तियों में से एक के नाम गोद जाने के आधार पर स्वीकृत किये जाने , लेकिन इस सबंध में जॉच व सुनवाई करने बाबत कोई तथ्य सामने नहीं आने से मामले में वारिसान की जॉच व सुनवाई करना आवश्यक मानते हुये पंचायत द्वारा बिना जॉच बिना सुनवाई के ही निर्णय पारित किये जाने को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं मानते हुये अपील स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 160 दिनांक 30.5.81 निरस्त कर प्रकरण स्व. रिडमल सिंह के विधिक वारिसान की जॉच कर उभयपक्षों की सुनवाई कर नियमानुसार निर्णय करने हेतु तहसीलदार लक्ष्मणगढ को प्रतिप्रेषित किया है । उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के उक्त निर्णय दिनांक 10.7.2015 के खिलाफ अपीलान्ट रिछपाल सिंह द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड किये जाने व सर्वप्रथम मियाद का बिन्दु निर्णित किये जाने की हिदायत प्रदान करने एवं पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की आज्ञा प्रदान करने की प्रार्थना की । यह अपील, अपील संख्या 99/2016 पर दर्ज की गई है ।

दूसरी अपील भी अपीलान्ट रिछपाल सिंह द्वारा ग्रम ढोलास स्थित उपरोक्त विवादित आराजी के अलावा अन्य ग्रम मंगलूना, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 252 रकबा 3.87 है., खसरा नम्बर 551 रकबा 0.09 है. के खातेदार रणमल सिंह पुत्र मुकन्द सिंह , जाति राजपूत सा.देह की विरासत का नामांतरकरण अपीलान्ट रिछपाल सिंह के नाम खोलने संबंधी प्रार्थना पत्र तहसीलदार लक्ष्मणगढ को प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा आदेश दिनांक 29.12.2015 से रजिस्टर्ड गोदनामें के अतिरिक्त अन्य दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी को मृतक रिडमल सिंह का दत्तक पुत्र मान लेना न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होना तथा ऐसी स्थिति में विधिक वारिसान के निर्धारण का श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय को होने तथा साथ ही प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी रिछपाल सिंह के नाम दत्तक पुत्र के अनुसार दर्ज नामांतरकरण संख्या 160 दिनांक 30.5.81 को चुनौती देते हुये माननीय न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ में दायर अपील को स्वीकार कर न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.7.2015 द्वारा वर्णित नामांतरकरण को खारिज कर दिये जाने एवं रजिस्टर्ड गोदनामें के अभाव में प्रार्थी रिछपाल सिंह को ख.नं. 252 रकबा 3.87 है. व 551 रकबा 0.09 है. वाके ग्रम मंगलूना के मृतक खातेदार रणमल सिंह पुत्र मुकन्द सिंह, जाति राजपूत, निवासी मंगलूना का विधिक वारिस तय किया जाना उनके न्यायालय के श्रवणाधिकार/क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया है । तहसीलदार लक्ष्मणगढ के उक्त निर्णय दिनांक 29.12.2015 के खिलाफ अपीलान्ट रिछपाल सिंह द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के नाम नामांतरकरण स्वीकृत किये जाने की आज्ञा प्रदान करने की प्रार्थना की । यह अपील, अपील संख्या 7/2016 पर दर्ज की गई है ।

दोनों अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपील संख्या 99/2016 के संबंध में अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि नामांतरकरण संख्या 160 दिनांक 30.5.1981 के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेन्ट ने अपील दिनांक 15.6.2012 को 31 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की थी, जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर थी । न्यायालय उप खण्ड अधिकारी के समक्ष रेस्पोंडेन्ट रेशम कंवर व मंगेज सिंह द्वारा दिनांक 3.3.2011 को उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत दावे के मद संख्या 3 में प्रश्नगत नामांतरकरण का उल्लेख किया है , ऐसी स्थिति में नामांतरकरण की अपील में मियाद के संबधं में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र झूंठा व गलत था , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय नहीं कर , गुणावगुण पर निर्णय करने में विधिक त्रुटि की है । मियाद का बिन्दु भी विधि का महत्वपूर्ण बिन्दु है जिसको नजरन्दाज नहीं किया जा सकता । न्यायालय को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु को निर्णित करना चाहिये ओर यदि प्रकरण मियाद बाहर हैं तो गुणावगुण पर निर्णय नहीं दिया जा सकता । उनका कहना था कि प्रकरण में वास्ते बहस दिनांक आगे नियत थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना नोटिस व सूचना दिये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.7.2015 को ही लोक अदालत में पारित कर दिया, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के खिलाफ है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट का दावा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के निर्णय दिनांक 18.6.2012 से खारिज हो गया तथा इसके खिलाफ रेस्पोंडेन्ट की अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के निर्णय दिनांक 14.7.2017 द्वारा खारिज की जाकर उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के निर्णय दिनांक 18.6.2012 को यथावत रखा गया है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट मंगेज सिंह द्वारा एक दावा संख्या 38/2012 बाबत उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के समक्ष उनवानी मंगेज सिंह बनाम रिछपाल सिंह वगैहरा प्रस्तुत किया हुआ है , जो विचाराधीन है । रेस्पोंडेन्ट के यदि कोई अधिकार हैं तो वे विचाराधीन दावे में ही तय होगें । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रकरण उन्हें सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु को निर्णित किये जाने की हिदायत के साथ पुनः निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया जावे ।

अपील संख्या 7/2016 के संबधं में अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि गोद के संबंध में यह आवश्यक नहीं है कि गोदनामा हो व पंजीकृत हो । गोद के संबंध में गोद देना व लेना साबित होना आवश्यक है । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ ने बिना किसी आधार के पंजीकृत गोदनामें के अभाव में नामांतरकरण खोलने संबंधी प्रार्थना पत्र अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2015 द्वारा खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । तहसीलदार के समक्ष बावजूद आपत्ति नोटिस के कोई आपत्ति दर्ज नहीं होने पर भी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी भूल की है । उनका कहना था कि ग्राम ढोलास स्थित भूमि के खातेदार रिडमल सिंह की विरासत के नामांतरकरण संख्या 160 ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 30.5.81 को अपीलान्ट रिछपाल सिंह के नाम तस्दीक किया गया था जिसके खिलाफ रेस्पोंडेन्ट की अपील उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के समक्ष 31 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत हुई थी, जिस पर विचार किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 10.7.15 पारित कर दिया था जिसके खिलाफ प्रकरण सबज्यूडिस रहते हुये तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार लक्ष्मणगढ दिनांक 29.12.2015 निरस्त किया जावे तथा खातेदार रणमल सिंह पुत्र मुकन्द सिंह की विरासत का नामांतरकरण अपीलान्ट के नाम तस्दीक करने की आज्ञा प्रदान की जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील संख्या 99/16 के संबंध में रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस मे मुख्य रूप से कथन किया कि खातेदार रिडमल सिंह पुत्र भक्तावर सिंह था जिसके फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 160 पटवारी हल्का द्वारा रिछपाल सिंह व मंगेज सिंह पि.मु. रिडमल सिंह के नाम भरा गया, जिसे दिनांक 30.5.1981 को ग्राम पंचायत द्वारा बिना वारिसान की जॉच किये व रेस्पोंडेन्ट को बिना सुने अपीलान्ट रिछपाल सिंह के नाम तस्दीक किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है । विवादित भूमि पर रेस्पोंडेन्ट का कब्जा काश्त है । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.7.2015 द्वारा रेस्पोंडेन्ट की अपील स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 160 दिनांक 30.5.81 निरस्त कर प्रकरण स्व. रिडमल सिंह के विधिक वारिसान की जॉच कर उभयपक्षों की सुनवाई कर नियमानुसार निर्णय करने हेतु तहसीलदार

लक्ष्मणगढ को प्रतिप्रेषित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है । उप खण्ड अधिकारी के उक्त निर्णय की अनुपालना में तहसीलदार द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है , ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट निष्प्रभावी हो गई है । विवादित भूमि के संबंध में रेस्पोंडेन्ट द्वारा एक दावा बाबत उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है तथा इसमें ही पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण होना है । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

अपील संख्या 7/16 के संबंध में राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये अपीलाधीन आदेश तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला सीकर दिनांक 29.12.2015 को उचित एवं विधिसम्यक बताया तथा विवादित भूमि के संबंध में पक्षकारों के मध्य सिविल न्यायालय मे वाद विचाराधीन होने से पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण विचाराधीन वाद में ही होगा । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवकताओं की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम तहसीलदार लक्ष्मणगढ के निर्णय दिनांक 29.12.2015 के खिलाफ प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं प्रकरण के गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर न्यायहित में विलम्ब को क्षमा किया जाता है । प्रकरण में विवाद रिडमल सिंह एवं रणमल सिंह की विरासत के नामांतरकरणों का है । ग्रम ढोलास, तहसील लक्ष्मणगढ स्थिति भूमि के खातेदार रिडमल सिंह पुत्र भक्तावर सिंह की विरासत का नामांतरकरण संख्या 160 पटवारी हल्का द्वारा रिछपाल सिंह व मंगेज सिंह पि.मु. रिडमल सिंह के नाम भरा गया था जिसे ग्रम पंचायत द्वारा मात्र रिछपाल सिंह पि.मु. रिडमल सिंह के नाम स्वीकार किया है । नामांतरकरण संख्या 160 दिनांक 30.5.81 के खिलाफ मंगेज सिंह व रेशम कंवर पुत्र – पुत्री रिडमल सिंह द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के समक्ष प्रस्तुत की, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.7.2015 द्वारा वर्तमान जमाबन्दी 2058–61 में उक्त आराजी रिछपाल सिंह पि.मु. रिडमल सिंह जाति राजपूत सा.देह के नाम दर्ज होना, नकल नामांतरकरण संख्या 160 गॉव ढोलास के अनुसार रिडमल सिंह पुत्र भक्तावर सिंह राजपूत की विरासत रिछपाल सिंह, मंगेज सिंह पि.मु. रिडमल सिंह, जाति राजपूत सा. देह के नाम भरने पर ग्राम पंचायत नरोदडा द्वारा रिछपाल सिंह के ही गोद जाने के आधार पर रिछपालसिंह पि.मु. रिडमल सिंह के नाम स्वीकार किये जाने, अपीलांट्स (मंगेज सिंह व रेशम कंवर) द्वारा अपने आपको रिडमल सिंह के वारिस बताये जाने , रजिस्टर्ड गोदनामा किसी का नहीं होना भी नामांतरकरण में अंकित होने, पंचायत द्वारा दो व्यक्तियों में से एक के नाम गोद जाने के आधार पर स्वीकृत किये जाने , लेकिन इस सबंध में जॅाच व सुनवाई करने बाबत कोई तथ्य सामने नहीं आने से मामले में वारिसान की जॅाच व सुनवाई करना आवश्यक मानते हुये पंचायत द्वारा बिना जॅाच बिना सुनवाई के ही निर्णय पारित किये जाने को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं मानते हुये अपील स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 160 दिनांक 30.5.81 निरस्त कर प्रकरण स्व. रिडमल सिंह के विधिक वारिसान की जॅाच कर उभयपक्षों की सुनवाई कर नियमानुसार निर्णय करने हेतु तहसीलदार लक्ष्मणगढ को प्रतिप्रेषित किया है , के खिलाफ अपीलान्ट की द्वितीय अपील संख्या 99/2016 पर दर्ज है ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

इसके अतिरिक्त अन्य ग्रम मंगलूणा, तहसील लक्ष्मणगढ स्थिति आराजी के खातेदार रणमल सिंह पुत्र मुकन्द सिंह की विरासत का नामांतरकरण अपीलान्ट रिछपाल दत्तक पुत्र रणमल सिह के नाम खोलने बाबत प्रार्थना पत्र तहसीलदार लक्ष्मणगढ ने निर्णय दिनांक 29.12.2015 द्वारा प्रार्थी को मृतक रिडमल सिंह का दत्तक पुत्र मान लेना उनके क्षेत्राधिकार में नहीं होने तथा ऐसी स्थिति में विधिक वारिसान के निर्धारण का श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय को होने , साथ ही प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी रिछपाल सिंह के नाम दत्तक पुत्र के अनुसार दर्ज नामांतरकरण संख्या 160 निर्णय दिनांक 30.5.81 को चुनौती देते हुये न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ में दायर अपील को स्वीकार कर न्याालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.7.2015 द्वारा वर्णित नामांतरकरण को खारिज कर दिये जाने एवं रजिस्टर्ड गोदनामें के अभाव में प्रार्थी रिछपाल सिह को ख.नं. 252 रकबा 3.87 है. व 551 रकबा 0.09 है. वाके ग्रम मंगलूना के मृतक खातेदार रणमल सिंह पुत्र मुकन्द

सिंह का विधिक वारिस तय किया जाना उनके श्रवणाधिकार/ क्षेत्राधिकार में नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया है ,के खिलाफ अपीलान्ट की प्रथम अपील संख्या 7/2016 पर दर्ज है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि दत्तक का तथ्य विधि एवं तथ्य का जटिल प्रश्न है जो नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही में तय नहीं हो सकता । दत्तक पुत्र के संबंध में विभिन्न न्यायालयों द्वारा अपने अनेकों निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किये जा चुके हैं कि प्राकृतिक उत्तराधिकार के अलावा अन्य किसी आधार पर कोई व्यक्ति विरासतन, हक व अधिकार प्राप्त करना चाहता है तो नियमित वाद के माध्यम से ही प्राप्त किये जा सकते हें । नामांतरकरण की कार्यवाही मात्र भू राजस्व की देयता के लिये राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों की एक मात्र प्रकिया है जिसमें विधिक रूप से दत्तक के संबंध में उत्तराधिकार तय नहीं किया जा सकता । यदि कोई व्यक्ति को दत्तक आधार पर विरासत उत्तराधिकार चाहता है तो उसे सक्षम न्यायालय से अपने अधिकार तय कराने होगें । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ ने प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 160 दिनांक 30.5.81 के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट की अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.7.2015 द्वारा स्वीकार की जाकर नामांतरकरण निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि स्व. रिडमल सिंह के विधिक वारिसान की जॅाच कर उभयपक्षों की सुनवाई कर नियमानुसार निर्णय करें । तहसीलदार लक्ष्मणगढ ने ग्राम मंगलूना के मृतक खातेदार रणमल सिंह पुत्र मुकन्द सिंह की विरासत का नामांतरकरण अपीलान्ट रिछपाल सिंह के नाम खोलने बाबत प्रार्थना पत्र पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2015 पारित कर मृतक खातेदार रणमल सिंह पुत्र मुकन्द सिंह का विधिक वारिस तय किया जाना उनके श्रवणाधिकार/ क्षेत्राधिकार में नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ दिनांक 10.7.2015 एवं तहसीलदार लक्ष्मणगढ दिनांक 29.12.2015 उचित एवं विधिसम्यक है जिनमे हस्तक्षेप किया जाना विधिक रूप से उचित प्रतीत नहीं होता तथा दोनों अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है । पक्षकारान दत्तक के आधार पर उत्तराधिकार सक्षम न्यायालय से तय कराने के लिये स्वतंत्र है । परिणामस्वरूप दोनों अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 13.6.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर